महालेखाकार (लेखा व हकदारी) पंजाब एवं यू.टी. चंडीगढ़ का कार्यालय

दिनांक: 16.10.2023

सं: प्रशासन-1/पदक्रम सूची/2023-24/288

कार्यालय आदेश

दिनांक 01.03.2023 की पदक्रम सूची के संकलन हेतु पदक्रम सूची (दिनांक 01.03.2023) के संशोधन का कार्य प्रशासन-1 अनुभाग, कार्यालय महालेखाकार (ले. एवं ह.), पंजाब एवं यू टी चंडीगढ़ मे गतिमान है। पदक्रम सूची मे अधिकारियों / कर्मचारियों की वरीयता तथा उसमे दिए गये सेवा विवरण जैसे उनकी पदोन्नति, स्थायीकरण, वेतन निर्धारण आदि के आधार होते है। अतः कार्यालय महालेखाकार (ले. एवं ह.), पंजाब एवं यू टी चंडीगढ़ के समस्त अधिकारी / कर्मचारी, जो इस कार्यालय के संवर्ग नियंत्रण के अधीन है, वह स्वयं से संबंधित विवरण की प्रविष्टियो की त्रुटियों (यदि कोई हो) के सुधार के लिए प्रशासन-1 अनुभाग को दिनांक 31.10.2023 तक सूचित करें, जिससे नई पदक्रम सूची मे प्रविष्टियाँ सम्मिलित की जा सके तथा साथ ही साथ पदक्रम सूची निर्धारित समय अवधि मे जारी की सकें।

2. इस संबंध मे सूचना देते समय निम्न विवरण देना अनिवार्य है:-

(क) नाम व व्यक्तिगत संख्या
(ख) पदनाम
(ग) क्या अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य है ?
(घ) क्या वह स्थायी / अस्थायी है (संवर्ग एव तिथि)
(ड) पदक्रम सूची क्रमांक / पृष्ट संख्या (दिनांक 01.03.2023 की पदक्रम सूची के अनुसार)
(च) जन्म तिथि
(छ) नियुक्ति की तिथि
(ज) वर्तमान पद पर नियुक्ति की तिथि
(झ) वर्तमान पद तेनाती
(ट) अन्य विवरण

3. जिन कर्मचारियों का नाम दिनांक 01.03.2023 के पदक्रम सूची मे सम्मिलित नहीं है, वे भी इसकी सूचना प्रशासन-। अनुभाग को उपरोक्त समस्त अपेक्षित विवरण के साथ दे।

4. समस्त सहायक लेखा अधिकारी / पर्यवेक्षक इस आदेश से अपने अनुभाग मे कार्यरत सभी कर्मचारियों को अवगत कराना सुनिश्चित करे।

5. यदि पदक्रम सूची मे कोई त्रुटी है तथा वह संबंधित कार्यालय / अनुभाग या संबंधित अधिकारी / कर्मचारी द्वारा प्रशासन अनुभाग के संज्ञान मे नहीं लायी जाती है, तो वह इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे।

हस्ता/-
उप-महालेखाकार (प्रशासन)